(2)

टी0ए0 मिस केस सं0 360/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19/03/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक **सोमाय सोय**, पिता– स्व0 **चरण सोय**, ग्राम– **डिलियामार्चा**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **डिलियामार्चा**, थाना नं0– **108**,खाता नं0–**138**,प्लॉट नं0–**593**,रकवा– **0.12 एकड़** भूमि क्रेता **विरेन्द्र गोडसोरा**, पिता– श्री **सोमा गोडसोरा**, ग्राम– **किरी**, थाना– **मुफस्सिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर नामांतरण मु0सं0 329/18–19 द्वारा नामांतरित है तथा पंजी II में रैयत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–223, दिनांक– **16.3.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धर मरम्मति एंव बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **विरेन्द्र गोडसोरा**, पिता– श्री **सोमा गोडसोरा**, ग्राम– **किरी**,थाना–**मुफ्फसिल चाईबासा** के पास 4,90,000.00/–(चार लाख नब्बे हजार)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.00** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **सोमाय सोय**, पिता–स्व0 **चरण सोय**, ग्राम–**डिलियामार्चा**,थाना– मुफ्फसिल, क्रेता **विरेन्द्र गोडसोरा**,पिता– श्री **सोमा गोडसोरा**,ग्राम–**किरी**,थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल4,90,000.00/–(चार लाख नब्बे हजार)रूपये में मौजा. **डिलियामार्चा**, थाना नं0– 108,खाता नं0–138,प्लॉट नं0–593,रकवा– 0.12 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित। 19/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 19/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

//D:/Niraj All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner